



F-07-08

F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1530 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1530

विषय /Sub: फ्यूल कंटेन्ट गेज (एफसीजी), एफ2-ए/बी प्रोब, पार्ट सं. 1878 00 000, इश्यू: 1 सी
Fuel Content Gauge (FCG), F2-A /B Probe, Part No.: 1878 00 000, Issue: 1C

यह घोषित किया जाता है कि एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स आर एंड डी सेंटर (ए एस ई आर डी सी), मेसर्स एच ए एल, लखनऊ- 226 016 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ – 226 016 द्वारा उत्पादित "फ्यूल कंटेन्ट गेज (एफसीजी), एफ2-ए/बी प्रोब" पार्ट सं. 1878 00 000, इश्यू: 1 सी को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1530, दिनांक 01 अक्टूबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1530 जारी किया गया था और संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/52 टीए/अनुशेष-1, दिनांक 28 जून 2013 द्वारा संशोधन जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक थी।

This is to state that the "Fuel Content Gauge (FCG), F2-A/B Probe" bearing the Part No. 1878 00 000, Issue: 1C, designed and developed by Aerospace Systems & Equipment R & D Centre (ASERDC), M/s HAL, Lucknow – 226 016 and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow – 226 016, was issued with Type Approval No.: 1530 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1530, Dated: 01st October 2010, and Amendment issued vide Ref. No.: CEMILAC/5070/52 TAs/Adm-1, Dated: 28th June 2013 with validity up to 31st December 2015.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 सितम्बर 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितम्बर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(लखनऊ), लखनऊ, – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st September 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th September 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), Lucknow – 226 016, Three (03) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1530, दिनांक 01 अक्टूबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 4 में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para 4 of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1530, Dated: 01st October 2010 is Amended as stated herewith.

“ [अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered and fully applicable.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1530/Adm-1/1R

दिनांक/Date : 03/10/ 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Ravi
29/09/16.

K. B.

पी. जयपाल / P. JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)